21

न्यायालय श्रीमान सदस्य रेवेन्यु बोर्ड ग्वालियर केम्प भोपाल म0प्र0

II/निगरानी/सीहोर/भू.रा/2017/4465 नि.प्र0क0------/17

सईदाबी विधवा रईसउददीन आयु 80साल

निवासी काजीपुरा आष्टा कृषक जम्मालपुर तह.

आष्टा, जिला सीहोर म0प्र0--------------------रिवीजनकर्ता

विरूद्ध

1. इसरारशाह आ. कुरबानशाह

नि.बी.टी.कालेज भोपाल जिला भोपाल म0प्र0

2. असलमशाह आ.जुम्माशाह

निवासी इछावर जिला सीहोर म0प्र0

3. रईसशाह आ.कुरबानशाह

नि.बी.टी.कालेज के पास

बाडी वाली मोलाना के पीछे भोपाल

4. इरफानशाह आ.कुरबानशाह

नि.बी.टी.कालेज भोपाल

5. गुलफाम शाह पिता कुरबानशाह

नि.बी.टी.कालेज भोपाल म0प्र0

6. इस्मालशाह आ.कुरबानशाह

नि.बी.टी.कालेजभोपाल बाडी वाले मोलाना

के पास भोपाल म0प्र0--------------------रेस्पाडेन्टगण

निगरानी (रिवीजन) धारा 50 म0प्र0भू0रा0स0 विरूद्ध आदेश दिनाक 27.9.17 जो अपील क्र.46/अपील/16-17 मे इसरार शाह गऽसईदाबी आदि पारित आदेश द्वारा माननीय उपखण्डीय अधिकारी आष्टा जिला सीहोरम0प्र0

श्रीमानजी

आवेदिका निगरानीकर्ता निम्न विधि तथ्यो आधारो पर यह निगरानी प्रस्तुत करती है-

..2

.. पूपना थी औरके ... ...नकर्ता के

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर

अनुवृत्तिं आदेश पृष्ठ

भाग--अ

प्रकरण कमांक दो/निगरानी/सीहोर/भू.रा/2017/4465

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआदि के हस्ताक्षर
11 --1--18	आवेदक के अधिवक्ता श्री मेहरबान सिंह उपस्थित। उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी आष्टा जिला सीहोर के प्रकरण कमांक 46/अपील/2016--17 में पारित आदेश दिनांक 27.9.17 के विरूद्व म0 प्र0 भू--राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 2--प्रकरण का संक्षेप में सारांश इस प्रकार है अनावेदकगण के पिता कुरबानशाह वादग्रस्त भूमि सर्वे कमांक 3 रकवा 2.12 ग्राम जगमालपुर स्थित तहसील आष्टा के भूमि स्वामी थे। अनावेदकगण के पिता कुरबानशाह ने अपनी सहमति से दिनांक 23.11.95 को नामांतरण आवेदक के पक्ष में कराया था, लेकिन अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी आष्टा के न्यायालय में उनके द्वारा 22 वर्ष पश्चात अपील प्रस्तुत की गई थी। अनुविभागीय अधिकारी आष्टा द्वारा दिनांक 27.9.17 को धारा--5 का आवेदन स्वीकार कर लिया गया है इससे दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 3--आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी आष्टा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर उसके साथ धारा--5 अवधि अधिनियम का आवेदन इस आशय का	

प्रस्तुत किया कि उन्हें उक्त आलोच्य आदेश का ज्ञान नहीं था जबकि अनावेदकगण के पिता द्वारा सहमति से नामांतरण कराया गया था और उसके पश्चात वह 7–8 वर्ष जीवित भी रहे। उनके जीवित रहते हुये अनावेदकगण द्वारा कोई आपत्ति नहीं की और न ही अनावेदकगण के पिता द्वारा कोई आपत्ति नहीं की। उनकी मृत्यु होने के पश्चात आपत्ति की गई है जो विधि विरूद्व है, क्यों कि अनावेदकगण के पिता ने नामांतरण की सहमति अपने जीवन काल में ही दी गई है इसलिये उक्त भूमि की आपत्ति करने का अधिकार वारिसानों को नहीं है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह भी अपने तर्क में कहा गया है कि अनावेदक कमांक–2 कुरबानशाह का वारिस नहीं है। अनावेदक कमांक–2 के पिता का नाम जुम्माशाह है इससे निगरानीकर्ता द्वारा जो तथ्य बताये गये हैं वह सिद्व होते हैं इस प्रकार झुठे तथ्यों पर अनावेदकगण 1 व 2 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी आष्टा के प्रकरण कमांक अपील 46/अपील/2016–17 में धारा–5 का आवेदन झूठे तथ्यों पर प्रस्तुत किया गया था, उसे स्वीकार करने में अनुविभागीय अधिकारी आष्टा द्वारा विधिक भूल की गई है। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी आष्टा जिला सीहोर का आदेश दिनांक 27.9.17 निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

4–आवेदक अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये गये तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि अनावेदकगण के पिता कुरबानशाह वादग्रस्त भूमि सर्वे

कमांक 3 रकवा 2.12 स्थित ग्राम जगमालपुर तहसील आष्टा के भूमि स्वामी थे। अनावेदकगण के पिता कुरबानशाह ने अपनी सहमति से दिनांक 23.11.95 को नामांतरण आवेदक के पक्ष में कराया था, जिसके हस्ताक्षर नामांतरण पंजी पर कुरबानशाह द्वारा किये गये है इस ओर ध्यान अनुविभागीय अधिकारी द्वारा नहीं दिया गया है और मात्र अपने आदेश पत्रिका में यह कहते हुये आवेदन धारा–5 का स्वीकार किया गया है कि अपीलार्थीगण को सूचना व सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है जबकि दिनांक 23.11.95 को अपीलार्थीगण के हक में वादग्रस्त भूमि उनके नाम ही नहीं थी, और उनके पिता के नाम थी उनके द्वारा नामांतरण करने की सहमति दी गई है और नामांतरण पंजी कमांक–22 पर उनके द्वारा हस्ताक्षर भी किये गये है। इसलिये अनुविभागीय अधिकारी आष्टा जिला सीहोर का आदेश दिनांक 27.9.17 त्रुटिपूर्ण होने से स्थिर रखने योग्य नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत एम0 पी0 वीकली नोट 2012 पार्ट–3 पुष्पा बाई विरूद्व संतोष कुमार में 10 वर्ष 8 माह 26 दिन इसी प्रकार एम0 पी0 वीकली नोट 2012 पार्ट–1 शार्ट नोट 55, 317 दिन इसी प्रकार एम0 पी0 वीकली नोट 2010 पार्ट–2, 108 म0 प्र0 शासन विरूद्व के0 एल0 आसरे में 1648 दिन की देरी को अपील में धारा–5 म्याद अधिनियम में यदि समुचित स्पष्ट व पर्याप्त कारण देरी के संबंध में नहीं बताये गये हैं तो ऐसे आवेदन को क्षमा किये जाने योग्य नहीं माना गया तथा म्याद अधिनियम के आवेदन पत्र

को निरस्त किया गया है।

5–उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी आष्टा जिला सीहोर के प्रकरण कमांक 46/अपील/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 27.9.17 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है।

(एस0 एम0 अली)
सदस्य